12/4/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित आये/प्रार्थी की प्रार्थना पत्र रद्दीकरण का सारतः यह कि अनुवादी मुल्जिम पत्रावली की निगरानी के वकील का पता दिनांक 16/5/18 को नोटिस वकालतनामा रद्दीज कराया गया। जिन्होंने निगरानी को सिद्ध किये बिना नोटिस किया है बल्कि निगरानी अपीलवाद को निर्णित रूप से चलाना चाहता है जिस वाकिआ दिनांक 28/5/18 को नकलात्मक उपरान्त अन्य वकील नियुक्त कर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। दरख्वास्त के वादी के इक्तियार निहित है। न्यायहित में वादी का वाद पुनः नम्बर दर्ज किया जाकर पैरवी करने की इजाजत प्रदान किये जाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

प्रार्थना पत्र प्रकरण में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी विपक्षी को अवलोकन हेतु अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका सारतः यह कि उक्त वाद अदालत श्रीमान न्याय आपके द्वारा सिर्फ सोडावाम के लिये वादी की उपस्थिति के वादी का वाद वकील वादी द्वारा नोटिस के माध्यम कराया गया था। वादी की उपस्थिति के तथा वादी की सहमति रद्दीज कराया गया था जबकि प्रतिवादीगण की सिर्फ प्रतिवादीगण के अधिवक्ता अपना जवाब पेश करना चाहते थे दरख्वास्त लिखाने की स्थिति में हमारे वकील द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया जा सका। वादी व वादी की पत्नी मुकदमा कुल आदमी है जो केवल मुकदमे पेश, रद्दीज कराते रहते हैं। पूर्व में भी एक वाद वास्तुपक्ष मु० दल्लीचन्द गोयल सन् 1992 में पेश किया था तथा उसके बाद नरपत आदि बनाम हरिराम वगैरह के नाम से सन् 2011 में पेश किये गये थे जो सब रद्दीज हो चुके हैं जिससे साफ जाहिर है कि वादी बेजा तौर पर इन प्रतिवादीगण को लगातार परेशान करने की नियत से पेश कर दावों को नोटिस के रद्दीज करवा लिये हैं। वादी/प्रार्थी इन अभ्यर्थीगण से रंजिश रखते हैं तथा इन प्रतिवादीगण

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

अपनी आराजी कोई प्रचार कार्य करते हैं तो वादिका वाद पेश कर दिया करते हैं जबकि वादी की आराजी के प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है लेकिन वादी व प्रतिवादीगण की आपसी साठ-गांठ किया है जिसका बेजा फायदा उठाकर वादी मिथ्या तथ्यों के आधार पर दावा पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेता है और जब प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आराजी का प्रचार कार्य बन्द कर देते हैं तो अपने दावे को वापिस लेना लेता है का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र मय अर्जे बिर्ये वापिस किये जाने का निवेदन रहा साथ ही अपने जवाब प्रार्थना-पत्र के साथ इसकी दस्तावेजात सहित दावा सं० 111/11 नत्थन बनाम घीसा व अन्य की डिग्री दि० 28-9-14 व प्रमाण पत्र पत्रावली सहित वादी के वाद वापिस किये जाने बाबत एवं दावा सं० 122/03 बनाम दिल्ली बनाम गणेश दावा पत्रावली अमल पेरवी अमल हाजरी के वापिस के बाबत डिग्री दि० 23-10-09 उक्त प्रमाण वर्ष 1992 के बाद बाबत मुकाबला पत्र लिए मुकर्रर है के बाबत के कुल निर्णीत दस्तावेजात किता 8 प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र के बाबत बहस बुलाए की बहस दरम्यान प्रतिवादी दौलत खां दरम्यान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र रोकने के प्रतिवादी को डराते हुए मेरा अहित हो रहा है दावा अन्तर्गत धारा 188 जा०दी० कार्यवाही चलाना चाहता है। दावा पुनः नम्बर धारा 188 जा०दी० कार्यवाही चलाना चाहता है। दावा पुनः नम्बर पर लिया जाने का अभिकथन किया। ठीक इसी प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र के प्रतिवादी को डराते हुए वकील प्रार्थी का कथन रहा कि वादी हमेशा अपनी सहमति के अपने वकील मुकर्रर कर मुकदमे के वापिस कराता है या अमल पेरवी के मुकदमों के वापिस कराता है या अमल पेरवी के मुकदमों के वापिस कराता है हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं। आदि हमें बिर्ये के साथ प्रार्थना पत्र वापिस किये जाने का निवेदन रहा साथ ही प्रस्तुत वापिस मुकदमों के बाबत नकलात के अवलोकन का निवेदन किया।

वकील उभय पक्षकारान की ध्यान पूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को वापिस योग्य पाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र का बिल वापिस पाये जाने की स्थिति में वापिस की जाती है। केवल मुकदमा सं० 111/18 बनाम कमरी वगैरह वकील सलंग मूलदावा सं० 111/18 बनाम सोहनलाल बनाम हरीसिंह वगैरह के साथ सलंग रहे मुकर्रर किया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner